राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20–21/78453 जयपुर, दिनांक 24-2-23

आदेश

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 की धारा 15 के अन्तर्गत राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास बोर्ड गठित किया गया है, जिसके बिन्दु संख्या 2(ख,ग,घ,ड़,च) के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् बोर्ड के लिये एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है।

क.सं.	मनोनीत सदस्य	श्रेणी
1	श्री नीरज डांगी, सांसद राज्यसभा	संसद सदस्य (01)
2	श्रीमती मंजू देवी, विधायक जायल	विधानसभा सदस्य (01)
3	1. श्रीमती शमा कौशिक, राजस्थान महिला कल्याण मण्डल चाचियावास, अजमेर 2. श्री आदिल भाई, महिला मण्डल, बाडमेर	मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों के प्रतिनिधि (02) (जिनमें से 01 महिला हो)
4	1. श्री दाऊलाल सोलंकिया तला बालेसर, जोधपुर 2. श्रीमती अंजू भट, मांडोली, जालौर 3. श्रीमती नीलम अग्रवाल (IRADA, जयपुर) 4. श्री बेनि प्रसाद कटारिया, जयपुर	विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता (04) (जिनमें से 02 महिला हो)
5	1. श्रीमती कविता मेघवाल, हनुमानगढ़ 2. श्री मोड़ाराम, बीकानेर	जिला प्रमुख (02) (जिनमें से 01 महिला हो)

(1) मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(2) मनोनीत सदस्य किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होंगे, तथापि बैठकों में उपस्थित होने में उनके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगें।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड के मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित नोटिस द्वारा सूचित कर के अपना पद त्याग सकेगें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ15( )भिक्षा.नि./सा0सु0/सान्याअवि/20–21/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर्स।
7. संयुक्त निदेशक, आई.टी., मुख्यावास को लेख है कि विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ।
8. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग......................राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner